प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 07.11.2024

थाना इलिया जनपद चन्दौली

➡ **थाना इलिया पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त किया गया गिरफ्तार**

पुलिस अधीक्षक चन्दौली, आदित्य लांग्हे द्वारा वांछित अभियुक्तो के गिरफ्तारी हेतु दिये गये आदेश/निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन अनिल कुमार यादव व क्षेत्राधिकारी चकिया राजीव सिसौदिया के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक इलिया दयाराम गौतम के कुशल नेतृत्व में थाना इलिया पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 105/2024 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता नि0अधि0 में वांछित अभियुक्त सौदागर पुत्र लाला मोहम्मद नि ग्राम पखनपुरा थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली उम्र करीब 29 वर्ष को आज दिनांक 07.11.2024 को समय करीब 05.52 बजे धरौली नहर पुलिया थाना सैयदराजा के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के आधार पर अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह अपने 02 अन्य मित्रों के साथ मिलकर 01 वाहन टाटा पिकअप योद्धा नं0- UP65KT4806 को 40,000/ रूपये प्रतिमाह किराये पर लिया था। वह सभी लोग मिलकर इस गाडी से गौतस्करी का कार्य करते थे। वह सभी लोग पहले गोवंशो को एक स्थान पर एकट्ठा करते थे। उसके बाद गाडी में गोवंशो को लादकर वध हेतु बिहार ले जाया करते थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सौदागर पुत्र लाला मोहम्मद नि ग्राम पखनपुरा थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली उम्र करीब 29 वर्ष

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0-105/2024 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता नि0अधि0 थाना इलिया जनपद चन्दौली

गिरफ्तारी पुलिस टीम का विवरण-

नि0 दयाराम गौतम प्रभारी निरीक्षक थाना इलिया जनपद चन्दौली।

उ0नि0 मनेश शंकर द्विवेदी चौकी प्रभारी कस्बा इलिया जनपद चन्दौली।

हे0का0 हरिकिशुन प्रजापति थाना इलिया जनपद चन्दौली।

थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

◆थाना सैयदराजा पुलिस टीम द्वारा कट्टा दिखाकर धमकी देने वाले बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया व बाल अपचारी के पास से एक अवैध तमंचा व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया।

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे द्वारा जनपद में अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने तथा अपराध में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु दिये गये निर्देशो के अनुपालन मे चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर विनय कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी सदर राजेश राय के पर्यवेक्षण में प्रभारी सैयदराजा मुकेश कुमार तिवारी के नेतृत्व में थाना सैयदराजा पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र दिनांक 06.11.2024 को वादी मुकदमा ग्राम फेसुड़ा में अपनी पान की दुकान के पास बैठा था कि विपक्षी द्वारा शराब के नशे में गाली गुप्ता देने, मारपीट करना व अवैध तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना सैयदराजा पर मु0अ0सं0 195/2024 धारा 115/(2)/352/351(2) BNS पंजीकृत है। मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर ग्राम फेसुड़ा से रनियां जाने वाले मार्ग नहर के पास से एक बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया तथा उसके पास से एक अवैध देशी तमंचा व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। अभिरक्षा में लिए गए बाल अपचारी से बरामदगी के आधार पर आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

अभियुक्त का विवरण- बाल अपचारी

बरामदगी-1.एक अवैध देशी तमंचा 315 बोर 2.एक जिन्दा कारतूस 315 बोर

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

1.प्रभारी निरीक्षक मुकेश कुमार तिवारी थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

2.उ0नि0 धर्मदेव प्रसाद थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

3.हे0का0 संतोष सिंह चन्देल थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

4.हे0का0 गया प्रसाद यादव थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

5.का0 राजेन्द्र प्रसाद थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

◆थाना सैयदराजा पुलिस टीम द्वारा 90 शीशी अवैध देशी शराब ब्लू लाईम (प्रत्येक 200 M.L.) की बरामदगी के साथ 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे द्वारा जनपद में अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने तथा अपराध में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु दिये गये निर्देशो के अनुपालन मे चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर विनय कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी सदर राजेश राय के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मुकेश कुमार तिवारी थाना सैयदराजा के नेतृत्व में थाना सैयदराजा पुलिस टीम द्वारा मादक पदार्थों की चेकिंग अभियान के दौरान मुखबीर से प्राप्त सूचना के आधार पर दिनांक 06.11.2024 को सम्राट ढ़ाबा के 100 मीटर पूर्व NH2 हाईवे से 02 व्यक्तियों को पकड़ा गया तथा उनके पास से 90 शीशी अवैध देशी शराब ब्लू लाईम प्रत्येक 200 ML बरामद हुआ। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 194/2024 धारा 60 EX एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया । गिरफ्तारी/ बरामदगी के आधार पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त का विवरण-

1.रिंकू जायसवाल पुत्र रमेश जायसवाल निवासी ग्राम बिउरी थाना चांद जनपद कैमूर भभुआ बिहार उम्र करीब 24 वर्ष ।

2.गोविन्द राजभर पुत्र दीनानाथ राजभर निवासी ग्राम बीरभानपुर पोस्ट गोई थाना चांद जनपद कैमूर भभुआ बिहार उम्र करीब 30 वर्ष ।

बरामदगी-1.90 शीशी अवैध देशी शराब ब्लू लाईम प्रत्येक 200 ML ।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

1.प्रभारी निरीक्षक मुकेश कुमार तिवारी थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली ।

2.उ0नि0 विजय प्रताप सिंह थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली ।

3.हे0का0 संतोष सिंह चन्देल थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली ।

4.हे0का0 गया प्रसाद यादव थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली ।

यातायात पुलिस चंदौली

◆यातायात माह नवंबर में यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम द्वारा चलाया वाहन चेकिंग अभियान के दौरान कुल 389 वाहनों का चालान करते हुए 4,80,500/-₹ का जुर्माना अधिरोपित किया।

◆यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम चन्दौली द्वारा वाराणसी से बिना परमिट व बिना फिटनेस के संचालित ऑटो का भी किया जा रहा चालान

◆यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम द्वारा लगातार बिना साइलेंसर या मोडिफाइड साइलेंसर, बिना हेलमेट, बिना शीटबेल्ट, तीन सवारी व यातायात नियमों के उल्ल्घन करने वालो पर लगातार कार्रवाई जारी

चन्दौली- श्री पीयूष मोर्डिया अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी, श्री मोहित गुप्ता पुलिस महानिरीक्षक परिक्षेत्र वाराणसी द्वारा निर्गत आदेश के क्रम में आदित्य लांग्हे पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी यातायात रघुराज के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक यातायात सुरेन्द्र यादव* मय यातायात टीम व जनपदीय थाना पुलिस टीम द्वारा यातायात माह नवंबर के अवसर पर जनपद में विशेष वाहन चेकिंग अभियान के दौरान बिना साइलेंसर या मोडिफाइड साइलेंसर, बिना हेलमेट, बिना शीटबेल्ट, तीन सवारी, ब्लैक फ़िल्म लगे वाहन, पिकअप बिना रजिस्ट्रेशन व यातायात नियमों का उल्ल्घन करने वाले, नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने तथा मानक के अनुरूप नम्बर प्लेट न लगाये जाने पर कुल 389 वाहनों का चालान करते हुए 4,80,500/-₹ का जुर्माना अधिरोपित किया गया। इसी प्रकार प्रमुख चौराहों पर यातायात अपराधों के विरूद्ध विशेष सघन चेकिंग अभियान चलाकर यातायात नियमों के पालन के लिये जागरुक किया गया।*

सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु पुलिस अधीक्षक चंदौली आदित्य लांग्हे के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी यातायात ,रघुराज के निकट पर्यवेक्षण तथा यातायात प्रभारी सुरेन्द्र यादव व सभी यातायात अधि0/कर्मचारीगण के द्वारा बढ़ती हुयी सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में जनपद के प्रमुख चौराहों तिराहों व सार्वजनिक मार्गो, पर लगातार भ्रमणशील रहकर यातायात पुलिस चंदौली द्वारा यातायात नियमों के पालन के लिये सड़क सुरक्षा जागरुकता कार्यक्रम के तहत रोड़ पर लोगो को जागरुक किया गया । साथ ही साथ आमजन व वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए यातायात नियमों के पालन करने हेतु जैसे- नशे की हालत में वाहन न चलाने, निर्धारित मानक से अधिक सवारी न बैठाने वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने अवयस्क को वाहन न चलाने देने सीट बेल्ट का प्रयोग करने व दो पहिया वाहनों पर हेलमेट का प्रयोग करने वाहनों को ओवर लोड न चलाने आदि के संबन्ध में जागरूक किया गया व सभी को अवगत कराया गया कि "सीटबेल्ट" का प्रयोग व दो पहिया वाहन चलाते समय "हेलमेट" का प्रयोग अवश्य करें ।

इसी क्रम में यातायात पुलिस द्वारा कार्रवाई के दौरान निम्नलिखित यातायात के नियमों के उल्ल्घन करने पर चालान की कार्रवाई की गयी है-

क्रम संख्या   यातायात नियम उल्ल्घन का प्रकार चालान की संख्या-

1.बिना हेलमेट-167

2.नो पार्किंग-108

3.तीन सवारी-32

4.सीट बेल्ट13-

5.बिना वैलिड इनस्योरेंस के वाहन चलाना-05

6.यातायात नियमों का उल्लंघन-22

7.गलत नंबर प्लेट-19

8.मागने पर ड्राइविंग लाइसेन्स न दिखा पाना-05

9.वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग करना-03

10.मदिरा पीकर वाहन चलाना-01

11.मांगने पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट न दिखा पाना-01

12.परमिट शर्तों का उल्लघन-02

13.प्रेशर हार्न बजाना-01

14.सीज वाहन-01

15.बिना फिटनेस के वाहन चलाना-02

16.खतरनाक ढंग से वाहन चलाना-03

17.नो एंट्री-01

18.प्रदूषण सर्टिफिकेट ना दिखा पाना-03

यातायात नियमों के उलंघन में दिनांक 07.11.2024 को यातायात माह नवंबर के शुभारंभ के अवसर पर विशेष वाहन चेकिंग अभियान के दौरान की गयी कार्यवाही का विवरणः-

(1)संपूर्ण चालानः-389

(2)संपूर्ण कारित राजस्वः-4,80,500/-₹ (चार लाख अस्सी हजार पांच सौ रुपए)

थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

थाना सैयदराजा पुलिस टीम अवैध देशी शराब (ब्लू लाईम) 03 पेटी(कुल 135 पाउच प्रत्येक 200 ML) बरामदगी के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे द्वारा जनपद में अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने तथा अपराध में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन मे चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (सदर) विनय कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी सदर राजेश कुमार राय के पर्यवेक्षण में प्रभारी सैयदराजा मुकेश कुमार तिवारी के कुशल नेतृत्व में थाना सैयदराजा पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर दिनांक 07.11.2024 को बगही अण्डरपास से 01 किमी0 पूर्व NH-2 हाईवे से 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया अभियुक्त के कब्जे से 03 पेटी में कुल 135 पाउच अवैध देशी शराब (ब्लू लाईम) प्रत्येक 200 ML बरामद हुआ। गिरफ्तारी बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 196/2024 धारा 60 EX एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-1. इकबाल अंसारी पुत्र समीम अंसारी निवासी ग्राम मरूई थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली, उम्र करीब 24 वर्ष।

बरामदगी-1. 135 पाउच अवैध देशी शराब (ब्लू लाईम) मात्रा प्रत्येक 200 ML कुल 27 लीटर।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम -

1. प्रभारी निरीक्षक मुकेश कुमार तिवारी थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली।

2. उ0नि0 छोटेलाल राम थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली।

3. का0 गुन्जन तिवारी थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली।

4. का0 विष्णुदत्त प्रजापति थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली।

5. का0 रविशंकर गुप्ता थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली।